



Through E-mail

From,

Manjeet Singh Sheoran, H.J.S
Registrar General
High Court of Judicature at
Allahabad

To,

All the District and Sessions Judges/OSD
State of Uttar Pradesh

No. **16318** /Admin. G-II/Allahabad

Dated: **18/12/2025**

Sub: Regarding fixation of maximum Court Fee at ₹5000/- chargeable on Probate of Will and Succession Certificate.

Madam/Sir,

While enclosing herewith, a copy of letter no. 1605/Stamp-Vividh-57/2025 dated 27.10.2025 of Smt. Neha Sharma, Commissioner Stamp, Uttar Pradesh, Prayagraj, on the abovementioned subject, I am directed to request you to furnish the requisite information, as and when sought, to the officers/officials of the Stamp and Registration Department, in the matter.

With Regards,

Encl:- As above

Yours faithfully,

Registrar General

प्रेषक,

आयुक्त स्टाम्प,
उ०प्र०, प्रयागराज।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय,
प्रयागराज।पत्रांक—
विषय—

1605/स्टाम्प-विविध-57/2025

दिनांक-27/10/2025

परिवारजनों के पक्ष में अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम धनराशि रु० 5000/- किये जाने की भाँति वसीयत के प्रोबेट पर और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर प्रभार्य कोर्ट फीस को अधिकतम रु० 5000/- निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं० सी०एम०-21/94-02-2025-1960647 दिनांक 21.08.2025 के क्रम में परिवारजनों के पक्ष में अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम धनराशि रु० 5000/- किये जाने की भाँति वसीयत के प्रोबेट पर और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर प्रभार्य कोर्ट फीस को अधिकतम रु० 5000/- निर्धारित किये जाने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्व उपाशय का आकलन किये जाने हेतु भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अधीन प्रोबेट के निष्पादन व उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की कार्यवाही में सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य पर प्रभार्य कोर्ट फीस अर्थात् जिला न्यायालय में दाखिल किये गये प्रोबेट/लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन(LOA) के प्रकरणों की संख्या तथा प्रभार्य कोर्टफीस की गत पांच वर्षों की सूचना का सकलन समस्त जनपदों से किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से समस्त जनपद न्यायालयों को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के जनपद स्तर के अधिकारियों को उक्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु यथावश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। विभागीय जनपद स्तरीय अधिकारियों को इस पत्र के पृष्ठांकन द्वारा जनपद न्यायालयों में समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(नेहा शर्मा)
आयुक्त स्टाम्प
उ०प्र० प्रयागराज।

पत्रांक— 1605/स्टाम्प-विविध-57/2025

दिनांक-27/10/2025

प्रतिलिपि— समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन को इस आशय से कि जिला न्यायालय में सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर उपरोक्त सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(नेहा शर्मा)
आयुक्त स्टाम्प
उ०प्र० प्रयागराज।

o/c

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक : 21 अगस्त, 2025

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2

विषय : परिवारजनों के पक्ष में अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम धनराशि रु० 5000/- किये जाने की भौति वसियत के प्रोबेट पर और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर प्रभार्य कोर्ट फीस को अधिकतम रु० 5000/- निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक श्री दिवाकर त्रिपाठी, प्रतिनिधि मा० सांसद, लखनऊ का पत्र दिनांक 18.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री राकेश सिंह, निवासी-ए 3/64 विश्वासखण्ड गोमती नगर लखनऊ के दिनांक रहित पत्र संलग्न कर पत्र में उल्लिखित परिवारजनों के पक्ष में अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम धनराशि रु० 5000/- किये जाने की भौति वसियत के प्रोबेट पर और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर प्रभार्य कोर्ट फीस को अधिकतम रु० 5000/- निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या शासन को 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण आई०जी०आर०एस० से संबंधित है, अतः शीघ्रता अपेक्षित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
KULDEEP SINGH
Date: 21-08-2025
13:33:59
(कुलदीप सिंह)
उप सचिव।